कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

कमांक : प.( )प्रमुवसं/कार्मिक/2012 दिनांक :

परिपत्र

विषय :– अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले दौरे एवं रात्रि विश्राम बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प.3(39)प्र.सु./अनु.–2/97 दिनांक 19.4.1999 द्वारा विभागाध्यक्ष सहित सभी अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे/रात्रि विश्राम के मापदण्ड निर्धारित किये गये थे।

विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित दौरे एवं रात्रि विश्राम को प्रभावी करने हेतु एतद् विषयक पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों को अधिलंघित करते हुए प्रमुवसं/अप्रमुवसं एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकगण का मासिक कलैण्डर दिनांक 01.04.2012 से निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है।

क.सं.	पदनाम	दौरों की न्यूनतम संख्या		रात्रि विश्राम की न्यूनतम संख्या	
		प्रतिमाह	वार्षिक	प्रतिमाह	वार्षिक
1.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2 से 3	30	1 से 2 दिन	22
2.	अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक	2 से 3	30	1 से 2 दिन	22
3.	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक	7 से 8	90	5 दिन	60

विभागीय अधिकारी अपने दौरे व रात्रि विश्राम के दौरान कार्यालय निरीक्षण भी संपादित कर सकेंगे तथा इनका संपादन एवं समीक्षा कार्यालय निरीक्षणों हेतु जारी परिपत्र में अंकित दिशा निर्देशों के अनुसार की जावेगी।

दौरे/रात्रि विश्राम का मासिक समीक्षा प्रपत्र

क.सं.	पदनाम	दौरे		रात्रि विश्राम		विशेष विवरण
		लक्ष्य	प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति	
1	2	3	4	5	6	7

विभागीय अधिकारी अपने दौरों के दौरान निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देंगे तथापि निरीक्षण के दौरान यदि कोई महत्वपूर्ण बिन्दु मुख्यालय के ध्यान में लाने योग्य पाया जाता है तो उसको अर्द्धशासकीय पत्र से प्रधान मुख्य वन संरक्षक को अवगत कराया जावेगा।

1. अग्रिम मृदा कार्य/चालू वर्ष एवं गत वर्षो में किये गये वृक्षारोपण कार्य।
2. विभागीय स्थाई/अस्थाई पौधशालाओं में पौध तैयारी
3. वन भूमि पर अवैध खनन/अतिक्रमण।

4. वन सीमा पिलरों की स्थिति।
5. चालू वर्ष में विभागीय कार्य मण्डल इकाईयों द्वारा परिपक्व वृक्षों का पातन कार्य।
6. वन क्षेत्रों/वन्यजीवों की दशा।
7. अन्य तात्कालिक महत्वपूर्ण बिन्दु

दौरे इस प्रकार से संपादित किये जाने चाहिये जिससे विभागीय कार्य प्रणाली में सुधार एवं दक्षता में अभिवृद्धि हो।

निरीक्षण के उपरांत 7 दिवस के अन्दर निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा निरीक्षण टिप्पणी संबंधित अधिकारी को पालनार्थ आवश्यक रूप से प्रेषित कर दी जानी चाहिये। मुख्य वन संरक्षकगण द्वारा निरीक्षण टिप्पणी की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रमुवसं (विकास)/अप्रमुवसं (वन्यजीव)/अप्रमुवसं (भू–संरक्षण) (जो भी लागू हो) को एवं अप्रमुवसं (एम.एण्ड ई.) को भी पृष्ठांकित की जावेगी। प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा प्रति 3 माह में दौरों व निरीक्षण टिप्पणियों के क्रियान्वयन की समीक्षा की जावेगी।

अधिकारियों के द्वारा संपादित निरीक्षण, दौरों एवं रात्रि विश्रामों का प्रबोधन मुख्यालय स्तर पर अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एम. एण्ड ई.) द्वारा किया जावेगा। वे समय–समय पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रगति से अवगत करायेंगे।

-sd-
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राजस्थान, जयपुर।

1312-45
18/4/12

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय वन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई., राजस्थान, जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राजस्थान, जयपुर।
7. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशासन/मुख्यालय/वन्यजीव/विकास/वन सुरक्षा/एफ.सी.ए./भू–संरक्षण/उत्पादन/विधि/मूल्यांकन एवं प्रबोधन/ कोरेडिनेशन/परि. निदेशक/आर.एफ.बी.पी. (फेज–II)।
8. मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना/विभागीय कार्य मंडल/सिल्वा/प्रशिक्षण।
9. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/जयपुर/जोधपुर/बीकानेर।
10. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, भरतपुर/कोटा/उदयपुर/जोधपुर।
11. मुख्य वन संरक्षक, आर.वी.पी. कोटा/बनास, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
जयपुर।